

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/139
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00130
CICOM/R/2017/01237

दिनांक: 29.05.2018

अपीलकर्ता : श्री मोहम्मद अली शहीद,
द्वारा - अल्वर्गो रेस्टोरेन्ट,
लॉ फैकल्टी ए.एम.यू. के पास,
अलीगढ़ - 202002.

निर्णय की तारीख: 29.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.09.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.11.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. एल. गुप्ता
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.05.2018 (डाक विभाग द्वारा अग्रसारित)
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	222/15.05.2018 (129775/10.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में केन्द्रीय सूचना आयोग में दाखिल किसी आर.टी.आई. आवेदन या केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में प्रदान की गई सूचना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रथम अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों में श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2017 को पत्र सं. CICOM-R-2017-01237-MP-105 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना की प्रति संलग्न है। अपीलकर्ता द्वारा श्री आर. एल. गुप्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना के संदर्भ में किसी प्रकार की असहमति व्यक्त नहीं की गई है। प्रसंगवश यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील सूचना प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर दाखिल करना अपेक्षित होता है, परन्तु श्री आर. एल. गुप्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना को लगभग छः माह हो चुके हैं, तदुसार प्रथम अपील निरस्त की जाती है।
3. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

राकेश

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

